राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर

क्रमांकः—नर्सिंग / कोर्ट केस / के.114 / 25379 / 2024 / 80 दिनांकः 28/2/2024

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
एवं प्रभारी केस अधिकारी, झुझुनू।

विषयः— एस0बी0सिविल0रिट0पिटीशन संख्या संख्या प.261 / 2023 कैलाश चन्द शर्मा बनाम राजस्थान व अन्य मे तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांकः प. 117922173 / दिनांक18.07.2023 के द्वारा एस0बी0सिविल0रिट0पिटीशन संख्या संख्या 261 / 2023 कैलाश चन्द शर्मा बनाम राजस्थान व अन्य मे आपको केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार है :—

याचिकाकर्ताओं का प्रकरण मूलतः वेतन विंसगति निराकरण से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष—1996 में नर्स श्रेणी द्वितीय के पद पर हुई थी एवं वर्ष—1997 में अन्य कार्मिकों (नर्स श्रेणी द्वितीय) की नियुक्ति निदेशालय द्वारा प्रदान की गई थी। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 06.04.2013 द्वारा वर्ष—1996 में नियुक्त कार्मिकों (नर्स श्रेणी द्वितीय) का मूल वेतन दिनांक 01.07.2013 को 21240 / — पर स्थिरीकरण किया गया, जबकि वर्ष—1997 में नियुक्त कार्मिकों (नर्स श्रेणी द्वितीय) का मूल वेतन 21350 / — पर स्थिरीकरण किया गया, जिससे वर्ष—1996 में नियुक्त कार्मिकों के मूल वेतन में वर्ष—1997 में नियुक्त हुये कार्मिकों के मूल वेतन से 120 रूपये प्रतिमाह का अन्तर हो गया।

तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये सांतवा वेतन आयोग के द्वारा वर्ष—1996 में नियुक्त हुये कार्मिकों की मूल वेतन 67200 / — पर स्थिरीकरण किया गया एवं वर्ष—1997 में नियुक्ति कार्मिकों का मूल वेतन 69200 / — पर स्थिरीकरण किया गया। इससे वरिष्ठ कार्मिको के मूल वेतन में कनिष्ठ कार्मिकों के मूल वेतन में 2000 रूपये प्रतिमाह का अन्तर (विसंगति) हो गया।

उक्त विसंगति होने के कारण याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 28.05.2021 के अनुसार दिनांक 01.07.2013 से स्टेपअप कर कनिष्ठ नर्सिंग कार्मिकों के समान वेतन स्थिरीकरण कर वेतन विसंगति दूर करने हेतु निवेदन किया गया था, जिसके संबंध में वित्तीय सलाहाकार, मुख्यालय द्वारा प्रदत्त राय अनुसार आश्वास्ति कैरियर प्रगति स्कीम 2008 के अनुसार "एसीपी के अधीन वेतन उन्नयन होने पर कोई वरिष्ठ कर्मचारी अपने कनिष्ठ कर्मचारी से कम वेतन आहरित करता है तो भी वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी के समान नहीं बढाया जायेगा"।

इस संबंध में वित्त विभाग के मेमोरण्डम क्रमांक F.15(88)FD/RULES/2017 दिनांक 27.02.2022 में निम्न प्रकार से उल्लेख किया गया है:—

Signature valid
RajKaj Ref
Digitally signed by Ashutosh Garg
Designation: Joint Director
Date: 2024.02.27 17:23:36 IST
Reason: Approved

"Under Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 ... No. 15

क्र.2 पर

D:/Nurse-1 Final/ACP MN1 Order

P.T.O

with grade pay of Rs. 5400 is in PB-2 and also in PB-3. The GP 5400 of PB-2 was kept for grant of ACP only. They next ACP for GP- 5400 of PB-2, was GP 6000 having grade pay No. 16. Taking the same analogy under Rajasthan Civil Services (Revised Pay). Rules, 2017, the next ACP pertaining to pay level L-13 would be pay level L-15 instead of pay level L-14."

स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के प्रकरण में नियमों में स्टेपअप किये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से इन्हें स्टेपअप का लाभ नहीं दिया जा सकता हैं। वरिष्ठ कार्मिकों एवं कनिष्ठ कार्मिकों के वेतन में विसंगति एसीपी के कारण बन रहीं है। इसलिये नियमानुसार एसीपी में वित्तीय उन्नयन का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ राजकीय अधिवक्ता से संपर्क कर जवाबदावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर एक प्रति निदेशालय को भिजवावें।

(डॉ. आशुतोष गर्ग)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः—नर्सिंग / कोर्ट केस / के.114 / 25379 / 2024 / 80 दिनांकः 28/2/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, जोन—जयपुर।
2. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को उनके आदेश क्रमांक प.11792 / 173 दिनांक 18.07. 2023 के क्रम में।
3. विवेक त्यागी,डिप्टी गर्वनमेन्ट कौसिल,(चिकित्सा)माननीय उच्च न्यायालय जयपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी झुझुनू को उनके पत्रांक 2911 दिनांक 13.12..2023के क्रम मे
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईट पर अपलोड करने एवं संबधित अधिकारीयो को ई—मेल करने बाबत।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
5334178

Digitally signed by Ashutosh Garg
Designation : Joint Director
Date: 2024.02.27 17:23:36 IST
Reason: Approved

D:/Nurse-1 Final/ACP MN1 Order